444

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित | Published by Authority

सत्यमेव जयते

भाद्र 24, गुरुवार, शाके 1933–सितम्बर 15, 2011
Bhadra 24, Thursday, Saka 1933–September 15, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2011

संख्या प. 2(32) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 22)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक

अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः, इंडिया एजूकेशन ट्रस्ट, सीतापुरा, जयपुर एक पूर्त न्यास है जो राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रीकरण सं. 20/जयपुर/1999, दिनांक 24.05.1999 द्वारा रजिस्ट्रीकृत है;

और यतः, उक्त इंडिया एजूकेशन ट्रस्ट, सीतापुरा, जयपुर ने राजस्थान राज्य में रीको औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए दो करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर, अधीक्षक, सवाई मानसिंह ,चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, प्राचार्य, राजस्थान नर्सिंग महाविद्यालय, जयपुर और प्राचार्य, दंत महाविद्यालय, जयपुर थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त इंडिया एजूकेशन ट्रस्ट, सीतापुरा, जयपुर को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;